



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान  
Kadar Nawaz Khan  
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar



दूरभाष नं. 07152-242812

पत्रांक: 04/परी./ 525 /मगांअं.हिं.वि.वि./2022  
दिनांक: 14 फरवरी, 2022

अधिसूचना

प्रवेश परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों/प्रक्रियाओं/तरीकों के अपनाये जाने की पुष्टि के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया रद्द कर विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था, उनके लिए उक्त प्रतिबंध को सत्र 2021-22 में जारी रखने तथा सत्र 2022-23 के लिए प्रतिबंध से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़  
(कादर नवाज़ ख़ान)  
14/02/22

प्रति सूचनार्थ -

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा।
3. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा।
4. प्रभारी, लीला, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।